य उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

1/98/23
19.5.23

तारीख रजू..........

बनाम

पुरुषोत्तम — बिजेन्द्र वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री अख्यसिंह राणा एड0 ने उपस्थिति होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 05.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	3/6/23
5/6/23 वकील वादी...... साबिक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा. जी वास्ते...... तलबी दिनांक 17/7/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
17/7/23 मुताबिक ऑर्डर शीट P.O. बाबत अन्तरिम स्थगन पत्रावली दिनांक 16/10/23 को पेश हो।	
16/10/23 मुताबिक ऑर्डर शीट P.O. बाबत [illegible] पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो।	
11/12/23 .... उपस्थित / साबिक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा. जी वास्ते...... तलबी [illegible] दिनांक 30.1.24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/3/26	वकीलान उभय दावा पर बहस वकीलान सुनी गई। दावा वादी साबित होने से डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० नि० किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर रजिस्टर हो द०-द०। SDO उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 98 / 2023 दायर दिनांकः– 19 / 05 / 2023

जीसीएमएस नं0:–2023 / 182 निर्णय दिनांकः– 10 / 03 / 2026

वउनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र ग्यासी जाति ब्राहम्ण निवासी नाटोज तहसील कठूमर अलवर।

....वादी

बनाम

1. बिजेन्द्र पुत्र घपलू जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील
2. रामसिंह पुत्र घपलू जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
3. ओमी पुत्र घपलू जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
4. छुटटन लाल पुत्र भवानी जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
5. फूलसिंह पुत्र भवानी जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
6. कल्लन पुत्र बृजमोहन जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
7. मंगतू पुत्र सूरज जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर
8. नत्थी पुत्र बृजमोहन जाति जोगी निवासी नाटोज तहसील कठूमर

.... प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थितिः–श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता वादी

श्री घनश्याम शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:निर्णयः–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 637/703 रकबा 0.06 हैक्ट0 ग्राम नाटोज तहसील कठूमर में स्थित है। यह है कि उक्त विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी अपने हिस्से पर काश्त करते चला आ रहा है। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। असल प्रतिवादीगण सरजोर, बानेबन्द व मुठर्मद किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी में मदाखलन मजाहमत पैदा करते रहते है। आराजी की डौल को जोत कर बेदखल करने पर व कब्जा करने पर आमादा है जोतने बोने व काटने समेटने मे बाधा उत्पन्न करते है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा। इस वजह से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। दिनांक 24.07.2025 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के उपस्थित नहीं आये। इनके विरूद्व दिनांक 24.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श–1 नक्शा ट्रैस प्रदर्श–2 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी पुरूषोत्तम पी डब्ल्यू 1 एवं पी डबलू 2 भवंरसिंह पी डबलू 3 लक्ष्मणराम के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दावा को डिकी कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी हाल के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 637/703 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम नाटोज तहसील कठूमर में जो आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नही है ना ही प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिससे वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराये जाने का अधिकारी पाये जाते है। विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी साबित होने से डिकी योग्य पाया जाता हे।

—:आदेश:—

अतः दावा वादी हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिकी किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 637/703 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम नाटोज तह0 कठूमर में वादी को किसी प्रकार की काश्त संबधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे जबरन बेदखल ना करें। तथा प्रतिवादीगण ऐसी कोई कार्यवाही ना करें जिसे वादी को उसके खातेदारी की आराजी मे उपयोग व उपभोग करने में बाधा ना पहुचाये। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय, आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)